

मंत्रिमण्डल

मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क संबंधी मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर भारत और तजाकिस्तान के बीच करार को मंजूरी दी

Posted On: 17 MAY 2017 5:18PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क संबंधी मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर भारत और तजाकिस्तान के बीच करार पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दी है।

यह करार सीमा संबंधी अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए उचित सूचना की उपलब्धता में सहायता करेगा। इस करार से दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की प्रभावी क्रीयरेंस सुनिश्चित होने की आशा है।

पृष्ठभूमि

इस करार से दोनों देशों के बीच कस्टम अथॉरिटी के बीच सूचना और जानकारी को साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जाएगा और इससे कस्टम कानूनों, कस्टम अपराधों की रोकथाम और जांच और वैध व्यापार करने में सुविधा मिलेगी। इस करार के माध्यम से भारतीय कस्टम की चिंताओं और जरूरतों विशेष रूप से दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के घोषित कस्टम मूल्य की सटीकता, वस्तुओं का उदगम, प्रशुल्क वर्गीकरण संबंधी जरूरतों को ध्यान रखा जाएगा।

AKT/VBA/SH/HJ

(Release ID: 1490277) Visitor Counter: 6









in